



EAST COAST RAILWAY

मुख्य कार्मिक अधिकारी का कार्यालय/
Office of the Chief Personnel Officer
द्वितीय तल, - 751 017
Rail Sadan, IInd Floor, Bhubaneswar-751 017

स्थापना क्रमांक/ Estt. Srl. No. 136/2018
पूतरे/कार्मिक/आर/ECOR/Pers/R/P&A

RBE No-88/2018
Date: 27.08.2018

सेवा मे,
सभी प्रमुख विभागाध्यक्षों/समन्वयक विभागाध्यक्षों, पू त रे/भुवनेश्वर
मं.रे.प्र/व.मं.का.अधिकारी/मं.का.अधिकारी-खोरघारोड,वालातेरू, संबलपुर,
मु;कारखाना प्रबंधक/कारखाना कार्मिक अधिकारी- मंचेश्वर, अतिरिक्त रजिस्ट्रार/रेल दावा अधिकरण,
व.का अधिकारी(नि)/भुवनेश्वर
महा सचिव/इकोर श्र. कां., महा सचिव/इकोर श्र. यू.,
महा सचिव/एआई ओ बी सी आर ई ए, महा सचिव/ ए आई एस सी एस टी आर ई ए

Sub: Ration Money Allownce during leave other than LAP.

उपर्युक्त विषय पर बोर्ड पत्र सं E(P&A)I-2005/ALL/RPF-2 Dtd.
14.06.2018 की प्रतिलिपि सूचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित है।

A copy of the Board's No. E(P&A)I-2005/ALL/RPF-2 Dtd.
14.06.2018 on the above quoted subject is forwarded herewith for
information, guidance and necessary action.

Encl: As above,

(Gundicha Sethy)
Dy.Chief Personnel Officer(IR&W)
For Pr. Chief Personnel Officer

प्रतिलिपि प्रेषित/Copy to :

1. महाप्रबंधक के सचिव/पूर्व तट रेलवे, भुवनेश्वर
2. मुकाधि/मुकाधि(प्रशा.), उप म.प्र, अध्यक्ष(रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ)
3. उप मुख्य प्रबंधक(सू.प्रौ), उप मुकाधि(ओ.सं.एवं कल्याण), वकाधि(इंजी.)
4. वकाधि(मुख्या.), वकाधि(स्टाफ), वकाधि(राज. एवं न्याया.)
5. मुकाधि के निजी सचिव/सहा.कार्मिक अधि. (मुख्या.-1),सहा.कार्मिक अधि. (कल्याण),
6. सहा.कार्मिक अधि. (बिल), सहा.कार्मिक अधि. (भर्ती)

RB-3434
न.स./Sl.No.....
दिनांक/Date... 10/8/18
उत्पादक/Initial.....

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

823
14/8/18
As/R
D. U. Singh
CPO (C)
P. S. O.

No. E(P&A)I-2005/ALL/RPF-2

RBE No. 88/2018
New Delhi, dated: 14 .06.2018

The General Managers and Principal Financial Advisers,
All Indian Railways and Production Units.

E.C.O.R, Shubaneswar

Sub: Ration Money Allowance during leave other than LAP.


Intergal Coach Factory, Chennai had sought clarification, whether RPF staff are eligible for payment of Ration Money Allowance during their leave period other than Leave on Average Pay (LAP), i.e. Commuted Leave, Maternity Leave & Paternity Leave.

2. The matter has been examined in Board's Office in consultation with Ministry of Home Affairs. It is clarified that no Ration Money Allowance is admissible to RPF personnel during Commuted Leave, Maternity Leave and Paternity Leave.

3. The other terms and conditions as stipulated in para 4 of Board's letter of even number dated 10.06.2009 remain unchanged.

4. This disposes off Intergal Coach Factory's letter No. PB/CBS/RB dated 11.12.2017.

5. Please acknowledge receipt.




(N P Singh)

Jt. Directorate/E(P&A),
Railway Board.

No. E(P&A)I-2005/ALL/RPF-2

New Delhi, dated 14 .06.2018

Copy to the Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways), Room No.224, Rail Bhawan, New Delhi (with 40 spares).



for Financial Commissioner/Railways

No. E(P&A)I-2005/ALL/RPF-2

New Delhi, dated 14 .06.2018

Copy forwarded to:-

1. The General Secretary, AIRF, R.No.253, Rail Bhawan, New Delhi.(with 35 spares).
2. The General Secretary, NFIR, R.No.256-E, Rail Bhawan, New Delhi.(with 35 spares).

उप मुकादमि (10)

14/08 मुकादमि/5

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

आरबीई सं. 88 /2018

सं. ई(पी एण्ड ए)I-2005/एएलएल/आरपीएफ-2

नई दिल्ली, दिनांक 14.06.2018

महाप्रबंधक एवं प्रधान वित्त सलाहकार,
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां

विषय: औसत वेतन अवकाश के अलावा अन्य छुट्टियों के दौरान राशन राशि भत्ता

सवारी डिब्बा कारखाना, चेन्नई ने स्पष्टीकरण मांगा है कि क्या रेल सुरक्षा बल के कर्मचारी औसत वेतन अवकाश (एलएपी) के अलावा अन्य छुट्टी, जैसेकि परिवर्तित छुट्टी, मातृत्व अवकाश और पितृत्व अवकाश के दौरान राशन राशि भत्ता के भुगतान के लिए पात्र हैं।

2. इस मामले की गृह मंत्रालय के साथ परामर्श करके बोर्ड कार्यालय में जांच की गई है। यह स्पष्ट किया जाता है कि परिवर्तित अवकाश, मातृत्व अवकाश और पितृत्व अवकाश के दौरान रेल सुरक्षा बल के कर्मचारियों को कोई राशन राशि भत्ता स्वीकार्य नहीं है।

3. बोर्ड के दिनांक 10.06.2009 के समसंख्यक पत्र के पैरा 4 में यथा निर्धारित अन्य निबंधन एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

4. इससे सवारी डिब्बा कारखाना के दिनांक 11.12.2017 के पत्र सं. पीबी/सीबीएस/आरबी का निपटारा हो जाता है।

5. कृपया पावती दें।

(एन पी सिंह)
संयुक्त निदेशक/स्था.(पी एण्ड ए)
रेलवे बोर्ड

सं. ई(पी एण्ड ए)I-2005/एएलएल/आरपीएफ-2

नई दिल्ली, दिनांक 14.06.2018

भारत के उप नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक (रेलें), कमरा नं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली को
प्रतिलिपि (40 अतिरिक्त प्रतियाँ सहित) प्रेषित।

कृते वित्त आयुक्त/रेलें